तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एलआर / 876 / 2006 / सीकर** **भींवा बनाम भगवाना**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :–
श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अभिभाषक अपीलांट
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

दिनांक : 06–03–2025

निर्णय

यह अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 39 / 2005 में पारित निर्णय दिनांक 30–11–2005 के विरूद्व धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अपीलांट, लादू का दत्तक पुत्र है तथा लादू ने अपीलांट को अपने जीवनकाल में विधिवत गोद ले लिया तथा गोदनामा उपखण्ड अधिकारी सीकर ने तस्दीक कर दिया। लादू का स्वर्गवास होने पर लादू द्वारा कृषि भूमि का गोदनामा के आधार पर अपीलांट के नाम नामांतरकरण स्वीकार किया गया, लेकिन लादू की पत्नी मु0केसी ने रेस्पोडेन्ट्स के बहकावे में आकर अपीलांट के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण को चुनौती दी, जो पुनः जांच हेतु सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष भेजा गया। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी ने बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित कर दिया। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई, जिसे अपने निर्णय द्वारा स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार के समक्ष सम्पूर्ण जांच कर निर्णय हेतु भेजा गया। चूंकि दौराने अपील ही केसी बेवा लादू की मृत्यु दिनांक 18–03–2000 को हो गई थी लेकिन दौराने बदोबस्त गत आराजी खसरा नम्बर 285, 286 जिसके हाल खसरा नं. 585, 949, 612 / 1106, 612 / 1107 कुल किता 4 कुल रकबा 4.31है0 भूमि केसी बेवा लादू के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि विवाद विरासत बाबत् विचाराधीन था लेकिन रेस्पो0 ने साजिशी तरीके से केसी से भूमि का विक्रय दौराने जांच विरासत करवा लिया और गलत रूप

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एलआर / 876 / 2006 / सीकर** **भींवा बनाम भगवाना**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से अपने नाम भी इन्द्राज करवा लिये। जब मु0केसी के अधिकार ही विचाराधीन थे तो उसके आधार पर विक्रय केसी द्वारा किया जाना एवं रेस्पो0 द्वारा अपने नाम का इन्द्राज किया जाना प्रभावहीन था। लेकिन तहसीलदार, सीकर ने अपने निर्णय दिनांक 07–06–2002 द्वारा यह निर्णित करते हुए कि दत्तकगृहीता माता–पिता अपने जीवनकाल में सम्पति का डिस्पोजल भी कर सकते हैं। उपखण्ड अधिकारी सीकर में दावा बाबत् उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा भी चलना बताया गया है, वर्तमान स्थिति में रिकार्ड के इन्द्राज में परिवर्तन की गुंजाईश नहीं मानते हुए प्रकरण प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में चाराजोई के निर्देश के साथ अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित कर दिया। तहसीलदार सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–06–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 30–11–2005 द्वारा खारिज कर दिया। उनका तर्क है कि तहसीलदार, सीकर ने अपने निर्णय में स्पष्ट लिखा है कि वर्तमान में लादूराम और केसी के नाम कोई खाता नहीं है इस कारण लादू या केसी से भींवाराम के नाम नामान्तरकरण नहीं खोला जा सकता है। तहसीलदार ने विवाद को समझे बिना आदेश अन्तर्गत अपील पारित किया था। उसे अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने यथावत रखकर अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। नामान्तरकरण में लिप्त कृषि भूमि बाबत् प्रकरण तहसीलदार को जांच कर ही आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये थे लेकिन उन्होंने विवादित भूमि लादूराम व केसी के खाते दर्ज नहीं होना मानकर आदेश पारित कर दिया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज कर दिया कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालय एक तरफ गोदनामा का निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना मान रहे हैं, वही दूसरी ओर दत्तक माता पिता द्वारा अपने जीवनकाल में सम्पत्ति का डिस्पोजल भी कर सकते हैं, स्वीकार किया है। दत्तक पिता द्वारा कोई भूमि विक्रय नहीं की गई है व माता द्वारा भूमि विक्रय की गई है तो अपीलांट की माता अपने हिस्से से ज्यादा भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं रखती थी। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एलआर / 876 / 2006 / सीकर** **भींवा बनाम भगवाना**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कानूनी बिन्दु पर अपना कोई निर्णय नहीं देते हुए सरसरी तौर पर अपील अस्वीकार कर दी। इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः यह अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–11–2005 व 07–06–2002 को निरस्त किया जावे तथा अपीलांट के नाम विरासत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों को विधि सम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने निर्णय दिनांक 30–11–2005 द्वारा अपीलांट की अपील को खारिज किया है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि– ''इस प्रकरण में विवाद यह है कि क्या अपीलांट मृतक लादू राम का दत्तक पुत्र है या नहीं। इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर एक छाया प्रति उपलब्ध है जो 50–50 पैसे के 2 स्टाम्प पेपर पर लिखी गई है कोई मूल प्रति या सत्यापित प्रति नहीं है जिस पर सब डिविजनल मेजिस्ट्रेट, सीकर की मोहर लगी हुई है ओर कुछ अपठित लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त कोई सबूत ऐसा नहीं है जिससे अपीलांट को मृतक का दत्तक पुत्र माना जा सके। एक छाया प्रति निर्वाचन आयोग के कार्ड की है जिसमें भीव चन्द पुत्र लादराम अंकित है तथा यह छाया प्रति प्रमाणित है परन्तु यह छाया प्रति वर्ष 1996 की है। इससे पूर्व की मतदाता सूचियों में उसके मूल पिता झूंझाराम का ही नाम दर्ज है। स्पष्ट रूप से अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रथमदृष्टया उसे लादूराम का दत्तक पुत्र माना जा सके। रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत छाया प्रतियों में एक राशन कार्ड अकेली श्रीमती केसी देवी का बना हुआ है जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट मृतक लादूराम की विधवा श्रीमती केसी देवी के साथ नहीं रहता था ओर अलग रहता था। विद्वान तहसीलदार, सीकर द्वारा पारित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एलआर / 876 / 2006 / सीकर** **भींवा बनाम भगवाना**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया गया। विद्वान तहसीलदार, सीकर ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि भींवाराम को सक्षम सिविल न्यायालय से दत्तक पुत्र घोषित कराना चाहिये। मेरी विनम्र राय में भी प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर उसे प्रथमदृष्टया दत्तक पुत्र नहीं माना जा सकता। यदि अपीलांट दत्तक पुत्र भी है तो वह विवादित विषय है और इस प्रकार के विवादित विषयों का राजस्व न्यायालयों द्वारा अंतिम निर्णय नहीं किया जा सकता। इस संबंध में पक्षकारों के मध्य वाद भी लम्बित है। रेस्पो0 का नाम वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में विक्रय पत्रों के आधार पर अंकित हो चुका है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, सीकर द्वारा पारित आदेश एक उचित आदेश है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।'' हम अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित मत से पूर्णतया सहमत हैं। अपीलांट ने स्वयं को लादूराम का दत्तक पुत्र होने के संबंध में कोई ठोस एवं प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है तथा गोदनामा बाबत निर्णय सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेन्ट का नाम विक्रय पत्र के आधार पर अंकित हो चुका है तथा जब तक विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय से खारिज नहीं करवा लिया जाता, तब तक अपीलांट को कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विधिवत विश्लेषण एवं विवेचन करते हुए निर्णय पारित किये हैं, जो उचित हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह अपील खारिज की जाती है। तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–11–2005 व 07–06–2002 यथावत रखे जाते हैं। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	